



Neutral Citation No. - 2026:AHC:173684

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 4992 सन् 2026

ज्ञान प्रकाश

..... पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता

: जगदीश सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 86

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना गया।
2. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को प्रार्थना खंड में उल्लिखित अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया गया है। पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में उल्लिखित अनुतोष नीचे दिया गया है:-

“अतः, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करें तथा प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोरखपुर द्वारा आपराधिक भरण-पोषण वाद संख्या 0261 सन् 2024 (शकुंतला देवी बनाम ज्ञान प्रकाश), धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, थाना बांसगांव, जनपद गोरखपुर में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.05.2026 को अपास्त करने की कृपा करे, जिसके द्वारा विपक्षी पक्षकार संख्या 2 शकुंतला देवी को 12,000/- रुपये प्रति माह, अवयस्क पुत्री सृष्टि को 4,000/- रुपये

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रति माह तथा अवयस्क पुत्री कृति को 4,000/- रुपये प्रति माह, कुल 20,000/- रुपये प्रति माह की अंतरिम भरण-पोषण की धनराशि, आवेदन दिनांक 07.05.2025 से वाद के अंतिम निस्तारण तक, प्रत्येक माह की 10 तारीख को भुगतान किए जाने हेतु प्रदान की गई है। यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोरखपुर द्वारा आपराधिक भरण-पोषण वाद संख्या 0261 सन् 2024 (शकुंतला देवी बनाम जान प्रकाश), धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, थाना बांसगांव, जनपद गोरखपुर में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.05.2026 के प्रभाव एवं संचालन पर, इस माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान रोक लगाने की कृपा करे और/या ऐसा अन्य अग्रतर आदेश पारित करे, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित एवं न्यायसंगत समझे, अन्यथा पुनरीक्षणवादी को अपूरणीय हानि एवं क्षति होगी।”

3. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोरखपुर ने आदेश दिनांक 19.05.2026 के माध्यम से पुनरीक्षणवादी को उसकी पत्नी/विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को 12,000/- रुपये प्रति माह तथा दोनों अवयस्क पुत्रियों/विपक्षी पक्षकार संख्या 3 एवं 4 को 4,000/- रुपये प्रति माह प्रत्येक, आवेदन की दिनांक अर्थात् 07.05.2025 से अंतरिम भरण-पोषण के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अंतरिम भरण-पोषण की धनराशि पुनरीक्षणवादी की आय के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि वह गुण-दोष के आधार पर इस पुनरीक्षण का निपटारा नहीं चाहते हैं और इसे संबंधित परिवार न्यायालय को धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता/144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आवेदन पर शीघ्रता से अंतिम रूप से निर्णय करने हेतु निर्देश देते हुए निस्तारित किया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायहित में आवेदन की दिनांक अर्थात् 07.05.2025 से भरण-पोषण की धनराशि के बकाया को धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता/144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत लंबित आवेदन के अंतिम निस्तारण तक स्थगित रखा जा सकता है। उन्होंने यह वचन दिया कि यदि यह न्यायालय पुनरीक्षणवादी के उपर्युक्त अनुरोध को स्वीकार करता है, तो पुनरीक्षणवादी आदेश की दिनांक अर्थात् 19.05.2026 से भरण-पोषण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की धनराशि के समस्त देय/बकाया का भुगतान कर देगा और वह अपनी पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण की धनराशि का भुगतान नियमित रूप से मासिक आधार पर भी करेगा।

4. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा न्यायहित में, आवेदन की दिनांक अर्थात् 07.05.2025 से 18.05.2026 तक की अंतरिम भरण-पोषण की धनराशि के बकाया की वसूली धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता/144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत लंबित आवेदन के अंतिम निर्णय तक स्थगित रहेगी। तथापि, पुनरीक्षणवादी को आदेश की दिनांक अर्थात् 12.05.2026 से भरण-पोषण की धनराशि के समस्त देय/बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है तथा वह मासिक भरण-पोषण की धनराशि का नियमित रूप से भुगतान करता रहेगा।
5. यदि पुनरीक्षणवादी उपर्युक्त किसी भी निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोरखपुर को प्रचलित विधि के अनुसार आदेश दिनांक 19.05.2026 के अनुसार पुनरीक्षणवादी से भरण-पोषण की धनराशि के बकाया की वसूली के लिए कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोरखपुर को यह निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा किसी अनावश्यक स्थगन की अनुमति दिए बिना, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रजनेश बनाम नेहा एवं एक अन्य, (2021) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 324** के प्रकरण में प्रतिपादित विधि के आलोक में, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लंबित आवेदन पर अधिमानतः छह माह की अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित करें।
6. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, यह पुनरीक्षण **निस्तारित** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

18 अगस्त, 2026

मनीष हिमवान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”